इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 135] भोपाल, सोमवार, दिनांक 28 मार्च 2022—चैत्र 7, शक 1944

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 मार्च 2022

क्र. एफ. 01-01-2022-सात-7.—मध्यप्रदेश राजपत्र क्रमांक 12, दिनांक 25 मार्च 2022 में प्रकाशित की गई रीवा जिले की देवतालाब तहसील के सृजन से संबंधित प्रारम्भिक अधिसूचना को अतिष्ठित करते हुए, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2) के परन्तुक में अंतर्विष्ट उपबंध के अनुसरण में, एतद्द्वारा, यह सूचना दी जाती है कि उक्त धारा की प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, वर्तमान तहसील मऊगंज व तहसील नईगढ़ी, जिला रीवा की सीमाओं को परिवर्तित करने, नवीन तहसील देवतालाब को सृजित करने तथा नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गए अनुसार उनकी सीमाओं को परिभाषित करने का प्रस्ताव करती है.

''मध्यप्रदेश राजपत्र'' में इस सूचना के प्रकाशित होने की तारीख से तीस दिवस के अवसान होने के पश्चात् प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा तथा इसके संबंध में कोई आपत्तियां या सुझाव उक्त कालावधि अवसान होने के पूर्व लिखित में प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग को अग्रेषित किये जा सकेंगे:—

अनुसूची

अनु-क्रमांक	विद्यमान तहसील का नाम व उसका मुख्यालय	प्रस्तावित परिवर्तन में अपवर्जित किए जाने वाले क्षेत्रों के विवरण	प्रस्तावित परिवर्तनों के पश्चात् तहसील का नाम एवं उसका मुख्यालय	प्रस्तावित परिवर्तन के पश्चात् तहसील में समाविष्ट क्षेत्रों का विवरण	परिवर्तनों के पश्चात् तहसील की सीमाएं	अभियुक्तियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	तहसील मऊगंज मुख्यालय-मऊगंज.	मऊगंज के राजस्व निरीक्षक मण्डल देवतालाब के पटवारी हल्का नं. 1 से 15 एवं 47 से 49, राजस्व निरीक्षक मण्डल रतनगवां के पटवारी हल्का नं. 16 से 27, 29 व 56, 57, राजस्व निरीक्षक मण्डल सीतापुर के पटवारी हल्का नं. 40, 42, 43 अपवर्जित होंगे.	तहसील-मऊगंज मुख्यालय-मऊगंज.	तहसील मऊगंज के राजस्व निरीक्षक मण्डल देवतालाब के पटवारी हल्का नं. 50, 51 राजस्व निरीक्षक मण्डल रतनगवां के पटवारी हल्का नं. 28, 30 एवं 52 से 55, 58, 59, राजस्व निरीक्षक मण्डल सीतापुर के पटवारी हल्का नं. 31 से 39 व 41, 44 से 46 व 60 से 62, निरीक्षक मण्डल मऊगंज के पटवारी हल्का नं. 63 से 85 समाविष्ट होंगे.	**पूर्व**—तहसील हनुमना **पश्चिम**—तहसील गुढ़ **उत्तर**—तहसील देवतालाब **दक्षिण**—तहसील चुरहट, जिला सीधी.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	तहसील नईगढ़ी मुख्यालय नईगढ़ी.	तहसील नईगढ़ी राजस्व निरीक्षक मण्डल खर्रा के पटवारी हल्का नं. 21 से 28 व 54 से 58 अपवर्जित होंगे.	तहसील-नईगढ़ी मुख्यालय-नईगढ़ी.	तहसील नईगढ़ी, राजस्व निरीक्षक मण्डल रामपुर के पटवारी हल्का नं. 1 से 14 व 43 से 53 राजस्व निरीक्षक मण्डल खर्रा के पटवारी हल्का नं. 15 से 20 व 59 से 64, राजस्व निरीक्षक मण्डल मऊगंज के पटवारी हल्का नं. 29 से 42 व 68 से 79 समाविष्ट होंगे.	**पूर्व**—तहसील त्योंथर **पश्चिम**—तहसील मनगवां **उत्तर**—तहसील त्योंथर **दक्षिण**—तहसील मऊगंज.	
3	—	—	तहसील-देवतालाब मुख्यालय-देवतालाब	मऊगंज के राजस्व निरीक्षक मण्डल देवतालाब के पटवारी हल्का नं. 1 से 15 एवं 47 से 49, राजस्व निरीक्षक मण्डल रतनगवां के पटवारी हल्का नं. 16 से 27, 29 व 56, 57, राजस्व निरीक्षक मण्डल सीतापुर के पटवारी हल्का नं. 40, 42, 43, तहसील नईगढ़ी, राजस्व निरीक्षक मण्डल खर्रा के पटवारी हल्का नं. 21 से 28 व 54 से 58 समाविष्ट होंगे.	**पूर्व**—शेष तहसील मऊगंज **पश्चिम**—तहसील मनगवां **उत्तर**—शेष तहसील नईगढ़ी **दक्षिण**—तहसील मऊगंज.	

2. प्रस्तावित परिवर्तन यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया जा रहा है कि क्षेत्र का प्रशासन समुचित एवं प्रभावी रूप से किया जा सके.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
चन्द्रशेखर वालिम्बे, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2022.